

37



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल र्हालियर (म.प्र.)

ग्रीष्मविविधा/रीवा/भू.रा/2018/1536
प्रकरण क्रमांक /2018

प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र स्व. इन्द्रपाल शर्मा
आयु 46 साल निवासी ग्राम सिंचाई
कालोनी व कार्यालय कार्यपालन यंत्री विधुत
विभाग मऊगंज के सामने वार्ड क्रमांक 3
चाक मोड मऊगंज जिला रीवा म.प्र.

..... आवेदक

बनाम

- रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. इन्द्रपाल शर्मा
आयु 50 साल निवासी ग्राम टिहराकला
थाना तहसील नई गढ़ी जिला रीवा म.प्र.

..... अनावेदक

- श्रीमती फूलकली पत्नी स्व. इन्द्रपाल शर्मा
आयु 75 साल निवासी ग्राम टिहरा कला
तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म.प्र.
- श्रीमती मधुबाला पाण्डेय पुत्री स्व. इन्द्रपाल
शर्मा, निवासी ग्राम टिहरा कला थाना
तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म.प्र. हाल
निवासी ग्राम बेलहा पोस्ट अतरैला तहसील
सिरमौर जिला रीवा म.प्र.

..... प्रोफार्मा पक्षकार

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा २७ म.प्र. भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 ने न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी मऊगंज जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/ए-27/
2015-16 में पारित आदेश दिनांक 6.10.2017 के विरुद्ध



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक दो—विविध/रीवा/भूरा./2018/1536

स्थान दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

4/4/18

निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क पूर्व पेशी पर सुने जा चुके हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 374/2017-18 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24-11-17 पर से प्रस्तुत की जाकर म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 29 के अंतर्गत प्रकरण अपर आयुक्त न्यायालय से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्कों में व्यक्त किया कि अनुविभागीय अधिकारी, मउगंज के प्रकरण क्रमांक 31 अ-27/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-10-17 के विरुद्ध उन्होंने दिनांक 17-10-17 को केबिएट आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु अपर आयुक्त ने केबिएट आवेदन को अपील के साथ संलग्न न करके उनके केबिएट आवेदन पर विचार किये बिना अंतरिम आदेश दिनांक 24-11-17 से अपील सुनवाई हेतु घाह्य कर ली है। अपर आयुक्त के एंव आवेदक के अभिभाषक के आपस में मधुर संबंध होकर मिलना जुलना है इसलिये अपर आयुक्त से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित किया जावे।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों के कम में अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश दिनांक 24-11-17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त द्वारा अनावेदकगण के अभिभाषक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक दो—विविध/रीवा/भूरा./2018/1536

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>को सुनकर अपील सुनवाई हेतु ग्राहय की है यदि भूलवश प्रवाचक की बृति के कारण आवेदक क्षारा दायर केबिएट पर सुनवाई रह गई है तब आवेदक के अभिभाषक तदाशय की मांग / आपत्ति अपर आयुक्त के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं तथा आगामी पेशी पर केबिएट आवेदन पर सुनवाई करा सकते हैं। आवेदक के पास अपर आयुक्त के समक्ष स्वयं का पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण केबिएट पर सुनवाई की छूक के लिये अपर आयुक्त पर जिम्मेदारी डालकर प्रकरण धारा 29 के अंतर्गत अन्यत्र न्यायालय में हस्तांतरित करना अनावेदकगण (जिनमें दो महिला अनावेदक भी हैं) के हित में नहीं है। आवेदक अपर आयुक्त के समक्ष आगामी पेशी पर केबिएट की सुनवाई कराने के लिये स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन होने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">✓</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	